

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / स्थाई / 2011 / ५३


दिनांक ३.६.११

—: आदेश :—

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 42 के अन्तर्गत निम्नांकित ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी जो कि ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2008 मे चयनित है, के द्वारा नियुक्ति पश्चात् 2 वर्ष का परीविक्षाकाल (Probation Period) उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	ग्रा. चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. उषा मिश्रा	26.01.77	29.09.08	28.09.10
2	डॉ. राजकुमार गुप्ता	29.11.81	15.09.08	14.09.10
3	डॉ. कृष्ण कुमार बंसल	15.10.75	06.10.08	05.10.10
4	डॉ. मानसिंह शेखावत	10.07.81	31.03.09	30.03.11
5	डॉ. सुरेन्द्रपाल	08.06.71	06.10.08	05.10.10
6	डॉ. अरविन्द कुमार	02.10.79	22.10.08	21.10.10
7	डॉ. नरेन्द्र नागर	04.05.73	24.10.08	23.10.10
8	डॉ. विकास जैन	15.07.80	01.04.09	31.03.11
9	डॉ. कन्हैया लाल	01.04.77	22.10.08	21.10.10
10	डॉ. रेणु बजाज	28.03.73	06.10.08	05.10.10
11	डॉ. ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी	10.10.78	27.10.08	26.10.10
12	डॉ. राधाकिशन	30.10.79	23.09.08	22.09.10
13	डॉ. उमा शंकर मीणा	12.08.79	24.12.08	23.12.10

14	डॉ. पुरुषोत्तम करवा	08.01.81	30.03.09	29.03.11
15	डॉ. विनोद कुमार शर्मा	21.01.81	24.03.09	23.03.11
16	डॉ. रघुवीर राम धतरवाल	08.11.81	14.10.08	13.10.10



 निदेशक (जन स्वा.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2011/ ५३

दिनांक 3.6.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. प्रधानाचार्य, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक, जोधपुर।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड कराने की व्यवस्था करे।
8. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 निदेशक (जन स्वा.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर